Late Rameshwar Warpudkar (ACS) College, Sonpeth
Dist. Parbhani

ISSN 2349-638x
Impact Factor 7.149

AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY
RESEARCH JOURNAL
PEER REVIEW & INDEXED JOURNAL
Email id : aiirjpramod@gmail.com
www.aiirjournal.com

SPECIAL ISSUE No. 100

हिंदी साहित्य में संवैधानिक मूल्य

मुख्य संपादक
प्रा. प्रमोद तांदळे

अतिथि संपादक
डॉ.राम वाघ
प्राचार्य
कै.व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय,
बाभळगाव

कार्यकारी संपादक
प्रो.डॉ.रणजीत जाधव
हिंदी विभागाध्यक्ष
कै.व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय,
बाभळगाव

सह-संपादक
प्रा.डॉ.मा.ना.गायकवाड
हिंदी विभाग
कै.व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय,
बाभळगाव

SPECIAL ISSUE PUBLISHED BY
AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY
RESEARCH JOURNAL
Peer Review & Indexed Journal I Impact factor 7.149
Email id : aiirjpramod@gmail.com
www.aiirjournal.com
Mob.8999250451

Lala Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth Dist. Parbhani

Sr. No.	Name of the Author	Title of Paper	Page No.
31.	डॉ. जयंत ज्ञानोबा बोबडे	हिंदी दलित साहित्य : मानव अधिकारों की पहल	116
32.	डॉ. सन्मुख नागनाथ मुच्छटे	दसवें दशक के हिंदी उपन्यासों में धार्मिक संकुचितता	122
33.	प्रा सौ. डॉ. विजया जगन्नाथ पिंजारी-शिंदे	फणीश्वरनाथ रेणु के कथासाहित्य में सामाजिक चेतना	126
34.	प्रा. डॉ. दत्तात्रय लक्ष्मण येडले	मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में संवैधानिक मूल्य	130
35.	पूनम यादव डॉ. अनिल ढवळे	रत्नकुमार सांभरिया की कहनियों में चित्रित - संवैधानिक मूल्य	135
36.	डॉ. हणमंत पवार	रैदास और समतामूलक समाज	139
37.	डॉ.वनिता बाबुराव कुलकर्णी	आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार	142
38.	प्रा.निर्मला लक्ष्मण जाधव	गिरिराज किशोर के उपन्यास में संवैधानिक मूल्य	147
39.	डॉ. शिवाजी नागोबा भदरगे	स्वातंत्र्योत्तर हिंदी दलित कविता में संवैधानिक मूल्यों की अभिव्यक्ति	151
40.	डॉ. विनोदकुमार विलासराव वायचळ 'वेदार्य'	मनीषा कुलश्रेष्ठ रचित उपन्यास 'शिगाफ' में चित्रित संवैधानिक मूल्य	154
41.	प्रा. के.एच. वाघमारे	श्यामनारायण पांडेय के काव्य में सांस्कृतिक तत्व	158
42.	डॉ.सचिन कदम प्रा.परमेश्वर माणिकराव वाकडे	स्वतंत्रता पूर्व हिंदी काव्य में संवैधानिक मूल्य	163
43.	प्रो. महेबूब मंगरूले	संवैधानिक मूल्यों से ओतप्रोत : भुवनेश्वर उपाध्याय की कविताएं	167
44.	प्रा.डॉ.जयराम श्री. सूर्यवंशी	समकालीन हिंदी ग़ज़ल और संवैधानिक मूल्य (विनय मिश्र का ग़ज़ल संग्रह 'सच और है' के विशेष संदर्भ में)	171

आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार

डॉ. वनिता बाबुराव कुलकर्णी
हिंदी विभागाध्यक्षा
कै.रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय, सोनपेठ.
ता.सोनपेठ जि. परभणी
पिन कोड -431516

प्रस्तावना –

भारतीय आदिवासी साहित्य लगभग 150 वर्ष पुराना है। इन्होंने अपने मूल आदिम स्वर, विचार और जीवनशैली को सुरक्षित रखा है। भारतवर्ष के नक्षे में पूर्व से पश्चिम में आदिवासियों का एक पट्टा मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम, परगना, बंगाल, झारखंड छत्तीसगढ़' ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के डांग तक उत्तर और दक्षिण में 300- 300 किलोमीटर के मध्य में मूल निवासियों की आबादी है। भारत के आदिवासियों की जो आबादी है वह भारत की संपूर्ण आदिवासियों की संख्या की 75% इन मूल निवासियों का क्षेत्र जिसे बेल्ट कहा जाता है। इस बेल्ट में छोटानागपुर और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र देश की संपूर्ण खनिज संपदा लगभग 70% इस क्षेत्र में मिलती है। लेकिन कोयला, सोना, मैगनीज, हीरा, लोहा, और कीमती पत्थरों के खनन पर पूरे भारत में एक षड्यंत्र विकसित हो रहा है। अभिजात्य साहित्य के बाहर एक बहुत बड़ा समाज है जो बरसों से अपने अधिकारों से वंचित है। आज साहित्य के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियांँ खड़ी है कुछ समय पूर्व आदिवासी साहित्य हाशिए पर थे। क्रांतिकारी परिवर्तनवादी आंदोलनों के परिणाम स्वरूप आदिवासियों को अपने अस्तित्व और अधिकारों का एहसास हुआ है। जिससे हाशिए के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बदलाव की अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में हो रही है। अप्रगत, पिछड़ा, अज्ञानी, समान बोली बोलने वाला, अंधश्रद्धालु प्रकृति की गोद में जीवन यापन करने वाला, संस्कृति का रक्षक, भारत भू की संतान आदिवासी है।

शांति और संतुष्टि –

मनुष्य समाज में जीता है। समाज में जीने के तौर-तरीके नियम कानून होते हैं, जो प्रत्येक समाज के अपने होते हैं। मानवता के नाते हम में कुछ गुण है, जो हमें भाईचारा, सौहार्दता, बंधुत्व तथा समानता की सीख देते हैं। विभिन्न धर्मों की कई गरिमामय विरासत अर्थात अच्छी बातें हैं, जो समाज के अनुकूल है। इन धर्मों के बीच समाजोंनुकूल विरासतो का संवाद वर्तमान में अनिवार्य हो गया है। विश्व के सभी धर्मों में मनुष्यता, मानवता की सीख दी जाती है। एवं आचरण में उतारने की बातें कहीं जाती है। बावजूद इसके आज हम चारों और विपरीत आचरण देख रहे हैं। "अपनी जाति, अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर हर व्यक्ति को गर्व होना ही चाहिए, लेकिन इस गर्व या गौरव का तब कोई महत्व नहीं रह जाता जब उसका विचार ही खोखला हो।"1 हर व्यक्ति शांति, अमन, चैन चाहता है, परंतु उसे पाने की चेष्टा नहीं करता, अपितु जाने-अनजाने इसके विपरीत कार्य करता और अमन-चैन और शांति सब खो देता है।

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth Dist. Parbhani

हम सभी जनतांत्रिक भारत देश के नागरिक हैं। भारतीय संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, वैमनस्य और अराजकता कि नहीं। सभी धर्म, चरित्र निर्माण की बातें करते हैं। अतः विभिन्न संगठनों, जातियों, वर्गों, समुदायों तथा उनके विश्वास और विचारों मूल्यों, मानको आदि के संयुक्त योगदान से हम 'वसुधैव कुटुंबकम' को जी सकते हैं।

संविधान के अनुसार यहांँ सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया गया है। "आजादी पाने के बाद भारत ने प्रजातंत्र, समता और सामाजिक न्याय के आदर्श अपनाए और उन्हें अपने संविधान में समाहित किया।"2 लेकिन भारतीय समाज में आधी न्यायिक व्यवस्था को भी धरातल पर सही तरीके से नहीं लाया गया है, ताकि सभी जातियों एवं वर्गों को न्याय मिल सके। प्रजातंत्र के सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व न्याय की अनदेखी की जाती रही है। अर्थात संविधान के विपरीत कार्यों के निष्पादन किए जा रहे हैं। इससे समाज अशांत है। संविधान सम्मत कार्य में सभी व्यक्तियों को न्याय मिलेगा और न्याय मिलने से सभी संतुष्ट होंगे तब शांतिपूर्ण तरीके से सभी जीवन यापन करेंगे समाज में मेल मिलाप सौहार्द एवं समझौता होगा। इससे पारस्परिक भाईचारा का भाव आएगा और अस्तित्व को बल मिलेगा।

अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान –

आदिवासी समाज व्यवस्था में जाति भेद, वर्ग भेद, कभी नहीं रहा। इसलिए झारखंड जैसे आदिवासी देश में कई आदिवासी जातियांँ, यथा उरांँव, कुडुख, मुंडा, हो, संताल, खाडिया तथा साथ में कई आदिम आदिवासी जातियांँ बिरहोर कोरवा असुर, पहाड़िया इत्यादि युगों से साथ रहते आए हैं। उनके बीच आपसी मतभेद कभी नहीं हुआ। जब कभी बाहरी हस्तक्षेप एवं अन्याय हुआ सभी मिलकर इसका मुकाबला करते रहे। इन सबकी अपनी शासन व्यवस्था रही, जिसमें पुलिस की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। समाज में समानता भाईचारा, बंधुत्व, मरईत, संगत एवं नेक्ता से आर्थिक सहयोग की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में स्त्री को कभी दूसरे दर्जे का नहीं रखा गया। लेकिन आज के राजनीतिक परिवेश में सब कुछ बदलते जा रहे हैं। अतः संविधान के तहत दी गई पांचवी एवं छठी अनुसूची का ईमानदारी से पालन किया जाए तो वह दिन दूर नहीं कि जिस सद्भावना शांति और अस्तित्व की खोज में हम भटक रहे हैं वह हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। शांतिपूर्ण सह -अस्तित्व की खोज के लिए हमें संविधान सम्मत कार्य करना ही पड़ेगा।

देश के संविधान में आदिवासी तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों के लिए संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण की बात कही है। "अनुच्छेद 342 (1) में संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजातीय वह आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 तथा 16 उनके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करने तथा लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता देने की बात कहते हैं। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 335 एवं 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सरकारी नौकरी पाने के अधिकार को सुरक्षित किया गया है।"3 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 उनके साथ होने वाली अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 16 (4) जो की सुरक्षा से संबंधित है। इसके विषय में हरीशचंद्र

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth. Dist. Parbhani

शाक्य लिखते हैं कि, "अनुच्छेद 16 के खंड 192 में उल्लिखित सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार के प्रति अनुच्छेद 16 (4)एक अन्य अपवाद है।"4 आदिवासियों के अधिकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विशेष पहल की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावित अधिकारों के बारे में डॉ. वी. पाकेम का कहना है कि "अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार आदिवासी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है, जिसके आधार पर वे अपनी राजनैतिक हैसियत तथा संस्थाओं को तय कर सकते हैं और साथ ही वे अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु स्वतंत्रता पूर्वक प्रयास भी कर सकते हैं। स्वयत्तता तथा स्वशासन उनके इस अधिकार का अनिवार्य अंग है।"5

आदिवासी समस्याओं, बाधाओं को नियति मानकर उन्हें बदलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। बदलाव की प्रत्येक राह पर चल पड़ते हैं। वह आत्म सम्मान का स्वनिर्णय, स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार अपनी जीवनशैली को बरकरार रखते हुए अपना विकास करना चाहते हैं।

आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार –

भारत में आदिवासी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में एक वृहद क्षेत्र समाहित है। भारत विविध नस्लीय समूहों का देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या विविध धर्मों एवं मिश्रित नस्लीय संस्कृति का हिस्सा है। एक विशिष्ट भौगोलिक प्रथकता में विशिष्ट भाषा, अधिकार, क्षेत्र तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करने वाला समूह मूलनिवासी समूह कहलाता है। इनकी अलग पहचान हेतु इन्हें जनजातिय एवं आदिवासी भी कहा जाता है। ये आदिवासी सदियों से जंगलों के संरक्षक के रूप में रहे हैं। इनकी जीवनचर्या का आधार जंगल रहे हैं। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक की यात्रा में जंगल ही इनका सर्वोत्तम सत्य रहता है।

हमारे देश के संदर्भ में जब "आदिवासियों के अतीत वर्तमान पर गौर किया जाए तो सुदूर में आर्य अनार्य संग्राम श्रंखला से गुजरते हुए आदिवासियों ने किसी तरह स्वयं के अस्तित्व व अस्मिता की रक्षा करते हुए जंगल, पर्वतों में प्रकृति की शरण में जीते रहने की शैली को अपनाए रखा। अपनी अनूठी आदिम संस्कृति की अक्षुण्णता को बचाए रखा। वह मानवता के मूलभूत सरोकारों को तथाकथित मुख्य समाज की सभ्यता से प्रदूषित नहीं होने दिया।"6 किंतु आज विकास के नाम पर उन्हें उजाड़ा जा रहा है। " अंग्रेज सरकार ने भी रेलवे के निर्माण और युद्ध आदि के दौरान अपनी साम्राज्यवादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों का जबरदस्त दोहन किया। देश के कुल जंगल का 60% क्षेत्र आदिवासी बहुल जिलों के अंतर्गत आता है। नए वनों में भी आदिवासियों के अधिकारों को तय नहीं किया गया, इस कारण यह लोग जंगल में अतिक्रमण कारी बन गए । यानी यह माना गया कि यह लोग जंगल में गैरकानूनी रूप से कब्जा जमा रहे हैं ।"7 'गजलीठोरी' एक आदिवासी क्षेत्र है।कहने के लिए सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए आदिवासियों के कल्याण के लिए खर्च करती है. परंतु अफसरों के राजनीतिज्ञों के साथ सांठ-गांठ और उनके भ्रष्ट आचरण के परिणाम स्वरुप यह योजनाएंँ धाराशाही हो जाती है। गजलीठोरी के प्रति संजीव की चिंता इसी प्रकार की है - "आजादी के बाद आदिवासियों के कल्याण की सैकड़ों योजनाएंँ बनी है, पर उनके क्रियान्वयन का क्या हुआ ? आवंटित राशि का 10% भी देश के आदिवासियों तक नहीं पहुंच रहा है। कई योजनाएं तो फाइलों की कब्र में ही दफन हो गई... जैसे कि यह प्राथमिक विद्यालय गजलीठोरी...। इस विद्यालय की ही भांँति सडकर मरते रहे हैं कई नेक वायदे। यदि अफसरशाही और राजनीति का यही तालमेल कायम रहा तो पता नहीं कितने समय तक आदिवासी समाज इसी

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth, Dist. Parbhani

तरह अनपढ़, असंस्कृत, भूखा नंगा, शोषित उपेक्षित और लोकतंत्र के ज्ञान एवं विज्ञान से कटा- कटा रहेगा।"8 आदिवासियों के मन में शिक्षा और स्कूल दोनों के संबंध में नकारात्मक अवधारणाएं पैदा की जाती रही है। जिसके परिणाम स्वरूप स्वंय आदिवासी भी शिक्षा प्राप्त करने से डरते हैं। " जंगल के फूल" में आदिवासियों के में स्कूल खुलने का डर व्याप्त दिखाया गया है– " मैं एक नई बात कहने जा रहा हूँ। हमारे गांव में एक बड़ा घर बन रहा है। कहते हैं कि वह 'इसकूस्ल' है, उसमें लड़कों को पढ़ाया जाएगा।

– क्या पढ़ाया जाएगा ?

– मैं नहीं जानता

– पढ़ाना क्या चीज है गायता ?

– वह भी मुझे नहीं मालूम। पर इत्ता पता लगा है कि उस इसकूल में हमारे लड़के भी जबरन भर्ती किए जाएंगे और उन्हें पढ़ाया जाएगा।" 9 भारत में आदिवासियों को मूल निवासी घोषित न करने के पीछे विभिन्न संगठनों द्वारा विशेष नीति तथा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इन्हें देश के आदिवासी नेता पढ़े- लिखे शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग समझने में असफल हो रहे हैं। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए आक्रमण किए जा रहे हैं। इन्हें कैसे आदिवासी से गैर- आदिवासी बनाया जाए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उनकी संस्कृति, भाषा, पंचायत विवाह- पद्धति, प्राकृतिक पूजा पद्धति, जमीन पर कितना उनका अधिकार है, इसे हथियाने की योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन कराने का काम चल रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में खनिज बहुलता को देखते हुए भारत के पूंजीपति वर्ग ने एक सूत्र निकाला है यह सूत्र है विदेशों से खनन के लिए जापान, फ्रांस, चीन, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों से ऊर्जा उत्पादन के लिए करार। साथ ही देश के पूँजीपति उद्योग स्थापित करने की योजनाओं में अरबों धन धन राशि व्यय करने की तैयारी में है, किंतु संवैधानिक अधिकार बीच में आड़े आ रहा हैं। आदिवासी बिना संस्कृति और संविधान के अपना अधिकार नहीं पा सकता आदिवासी की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दे सकते। खनिज पदार्थ निकालना हो तो आदिवासियों की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता। अतः संविधान को बदलना भी कठिन है। इसलिए आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।आदिवासी अपने को विस्थापित किए जाने के शडयंत्रों से अवगत होकर समाज को आगाह करने में लगे हैं। हरिराम मीणा अंडमान निकोबार की खत्म होती नस्लों व जमीनों से उनकी बेदखली पर चिंतित हो उठते हैं।

कैसे करोगे साबित
सभ्यता की इस अदालत में
कि यह भौम... जमीन। तुम्हारी थी

आज हिंदी साहित्य में आदिवासियों की शौर्य गाथाएं- कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, और विद्रोही गीत आदि रूपों में रचे जा रहे हैं। आज आदिवासी विकास नीतियों का शिकार नहीं होना चाहता बल्कि विकास नीतियों का निर्माण करना चाहता है। हाथ में कलम पकड़ अपनी जड़ों की खोज करना चाहता है।

निष्कर्ष –

आदिवासियों के मानवीय स्वरूप को पुनः वापस लाने के लिए सरकार ने संविधान में विशेष प्रावधान किएहै। उनकी सुरक्षा के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण थाने व न्यायालयो की स्थापना की

गयी। उनकी समृद्ध सांस्कृतिक रीति-रिवाजों, मूल्यों एवं सामूहिक चेतना के संरक्षण के लिए आदिवासी क्षेत्रों में संग्रहालय व कार्यालय बनाए गए हैं। जिसमें संचित विरासत को भविष्य में इनकी आगे आने वाली पीढी तक पहुंचाया जा सके। नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में उल्लेख है जो संविधान में किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव का विरोध करते हैं। विकास में समानता लाने के लिए पिछड़े लोगों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गये। इतना ही नहीं आदिम समूहों की विकास योजनाओं में इनकी भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखा गया। आदिम समूहों का रहन-सहन आम नागरिकों से अलग है। जब उनके पूरे परिवेश में अंतर है तो विकास की एक जैसी नीतियाँ बनाने से उनका विकास नहीं होगा। इसलिए आदिवासियों को जब जमीन से बेदखल किया जा रहा है इसके लिए 5वी अनुसूची में जो प्रक्रिया है अनुसूचित जनजाति परामर्श समिति, केंद्रीय परामर्श, असम परिषद, राज्यपाल और संवैधानिक अधिकार या संरक्षण प्राप्त है तब उसका उपयोग करना होगा एवं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी मांगों को ले जाना होगा। साथ में अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, संसदीय समिति और मानवाधिकार आयोग को भी साथ लेकर चलना होगा। यहां तक कि हमें ऐतिहासिक सच्चाई के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक जाना पड़े तो पीछे नहीं हटना होगा। आज हम देखते हैं कि, चारों ओर स्वतंत्रता ही नजर आती है समाज कहीं नहीं दिखता। सर्वहित को सामने रखकर व्यक्ति को क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है और समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है ।आज आवश्यकता इस बात की है उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में उन समूहों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो। शिक्षा में भी उनके लोगों को शामिल किया जाय। जिससे आदिम समूह मुख्यधारा में शामिल हो सके।

संदर्भ –

(1) हिंदू संस्कृति -सं. राकेश नाथ - 2005 -विश्व बुक्स,बी-1 / ई-7, मोहन कॉपरेटिव बदरपुर, नई दिल्ली- 44- पृष्ठ 05

(2) समय और संस्कृति- दुबे श्यामाचरण- 1996- वाणी प्रकाशन- 21- ए दरियागंज- नई दिल्ली- पृष्ठ 96

(3) https:// WWW.patrika.com>world-tri...

(4) आदिवासी और उनका इतिहास- प्रथम संस्करण- 2011- पृष्ठ- 103

(5) आदिवासी कौन ?- रमणिका गुप्ता- राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड- अंसारी मार्ग दरियागंज, नई दिल्ली- संस्करण- 2016- पृष्ठ- 84

(6) अरावली उद्घोष आदिवासी संस्करण, सं. बी.पी.वर्मा- 'पथिक'- जून 2010 -अंक 88- पृष्ठ- 88

(7) जनसत्ता- संपादकीय ' जंगल के दावेदार '- कमल नयन चौबे - 20 मई 2010 -

(8) पठार पर कोहरा - राकेश कुमार सिंह - पृष्ठ 137- 138

(9) जंगल के फूल - राजेंद्र अवस्थी- पृष्ठ -127

PRINCIPAL
Late Ramesh Warpudkar (ACS)
College, Sonpeth Dist. Parbhani